

मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी
उसे अपनी तरह बालिका वधु नहीं बनाऊँगी



बाल विवाह एक
दंडनीय अपराध है

अधिक जानकारी या हमसे बात करने के लिए हमारी वेबसाइट www.protsahan.co.in पर जाएँ

चाइल्ड लाइन को 1098 पर मदद के लिये दिन या रात किसी भी समय कॉल करें और बच्चों को उत्पीड़न से बचाएं